Policy Regarding Electricity Pole

***28. SH. VARUN CHAUDHRY (Mullana).:** Will the Energy Minister be pleased to state:

a) whether the permission is being taken by the Power Department from the owner of private residential land for installing electricity pole on their land in the State;
b) whether the expenditure for removing the same electricity pole is being taken by the department from the owner of the land, if he wants to remove it;
c) If so, whether there is any policy or rule/regulation of the department in this regard together with the details thereof; and
d) If not, whether it is justified to charge the expenditure from the owner for removing the electricity pole of Government from his own private residential land?

The following reply is submitted:

Ranjit Singh, Energy Minister, Haryana

Sir,

a) Under the provisions of the Indian Telegraph Act, full powers are available to place and maintain a post or pole over any immovable property. In case of towers, the Govt. has notified a compensation policy in 2022.
b) If any person subsequent to the erection of overhead line constructs residential building under electrical lines, he is required to deposit the cost of shifting of such pole/line subject to technical feasibility.
c) The cost of shifting of electrical lines are regulated by Regulation 63 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010 and HERC Electricity Supply Code Regulations.
d) The issue does not arise as per response in Point (c).

बिजली के खम्भों से संबंधित नीति

*28. श्री वरूण चौधरी (मुलाना):

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) क्या राज्य में निजी रिहायशी भूमि के स्वामी को उनकी भूमि पर बिजली के खम्भे लगाने के लिए बिजली विभाग द्वारा अनुमति ली जा रही है;

(ख) क्या भूमि के स्वामी से विभाग द्वारा उनके बिजली के खम्भे हटाने का खर्चा लिया जा रहा है यदि वह इसे हटाना चाहता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विभाग की कोई योजना अथवा नियम/विनियम है तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उसकी अपनी निजी रिहायशी भूमि से बिजली के सरकारी खम्भों को हटाने के लिए स्वामी से खर्च वसूलना न्यायोचित है ?

निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत हैः-

<u>रणजीत सिंह, ऊर्जा मंत्री, हरियाणा</u>

श्रीमान,

(क) भारतीय तार अधिनियम के प्रावधानों के तहत, प्राधिकरण के पास किसी भी अचल संपत्ति पर पोस्ट अथवा पोल लगाने और बनाए रखने की पूरी शक्तियां हैं। टावरों के मामले में, सरकार ने 2022 में एक मुआवजा नीति अधिसूचित की है।

(ख) यदि कोई व्यक्ति ओवरहेड लाइन बनने के बाद बिजली लाइनों के नीचे आवासीय भवन का निर्माण करता है, तो उसे तकनीकी फिजीबिलीटी के अधीन ऐसे पोल/लाइन को शिफ्ट करने की लागत जमा करवानी होती है।

(ग) बिजली लाइनों की शिफ्टिंग की लागत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 63 और एचईआरसी बिजली आपूर्ति कोड विनियम द्वारा विनियमित की जाती है।

(घ) बिंदु (ग) में दी गई प्रतिक्रिया के अनुसार यह मुद्दा नहीं उठता है।